"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016—वैशाख 23, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक एफ-10-20/2011/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	सहायक संचालक (प्रशासन)	01	रु. 15,600-39,100+ग्रेड वेतन 5400"	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	सहायक संचालक (प्रशासन)	01	100%	राज्य शासन के किसी भी विभाग के अधिकारी (मंत्रालय सेवा के अधिकारी सहित), जिन्हें प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, की प्रतिनियुक्ति पर/समकक्ष ग्रेड के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा आधार पर नियुक्ति द्वारा"

No. F-10-20/2011/1/5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2015, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. After serial number 17 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	Assistant Director (Administration)	01	Pay 15,600-39,100+Grade Pay 5400"	

2. After serial number 17 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	Assistant Director (Administration)	01	100%	Official from any department of the State Government (Including Official of the Secretariat Services) who have minimum 5 years experience in Administration and Establishment related work on Deputation/ from retired official of equivalent grade on contractual basis."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 4-3/2014/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र भूषण वाजपेयी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 20 अप्रैल, से 29 अप्रैल, 2016 (10 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2016 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-57/गृह-सी/परीक्षा/2016.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 01 अगस्त, 2016 से 06 अगस्त, 2016, तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 01-08-2016

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 01-08-2016	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2016

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2016

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वयन तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों की सहायता से)	

गुरुवार, दिनांक 04-08-2016

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 04-08-2016	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 06-08-2016	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 11-07-2016 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 3-42/2011/गृह-दो.— विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-06-2011 के द्वारा जिला महासमुन्द अंतर्गत भीमखोज में नवीन पुलिस थाना स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत नवीन थाना भीमखोज का नाम परिवर्तित कर थाना "खल्लारी" किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

संशोधित

क्रमांक एफ 1-01/2015/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-03-2016, जिसके द्वारा राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त श्री प्रखर पाण्डे, भापुसे., श्री मनीष शर्मा, भापुसे. एवं श्री डी. रविशंकर, भापुसे. की पदस्थापना की गई है. उक्त आदेश के कॉलम नं. 4 में मुद्रण की त्रुटिवश उपरोक्त अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक 08-02-2015 अंकित हो गया है.

2. अत: उक्त के स्थान पर कॉलम नं. 4 में उपरोक्त अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति दिनांक 08-02-2016 पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-20/2014/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09-02-2016, जिसके द्वारा श्रीमती नेहा चम्पावत, पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-02-2016 से 16-02-2016 तक (कुल 07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश को निरस्त करते हुए, श्रीमती नेहा चम्पावत, पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-02-2016 से 17-02-2016 तक (कुल 08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा चम्पावत आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

4. अवकाश काल में श्रीमती चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलती थी.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती चम्पावत, भापुसे अवकाश पर नहीं जाती, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ -7-04/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 20-04-2016 से 30-04-2016 तक (कुल 11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 19-04-2016 एवं 01-05-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह मीणा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, कांकेर का अतिरिक्त प्रभार श्री नरेन्द्र खरे, भापुसे, सेनानी, 7वीं वाहिनी, छ.स. बल, भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ -7-03/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री मोहित गर्ग, (परि. भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 20-04-2016 से 26-04-2016 तक (कुल 07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 19-04-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोहित गर्ग आगामी आदेश तक नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मोहित गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, परि. भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मोहित गर्ग, (परि. भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री लखन पाटले, रापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 1-4/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को मुख्य वन संरक्षक से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के पद पर, वेतनमान (HAG:Rs. 67000 & annual increment @ 3%-Rs. 79000/-; Grade Pay-Nil) में पदोन्नत करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम
1.	श्री जे. ए. सी. एस. राव (1987)
2.	श्रीमती बी. व्ही. उमा देवी (1987)
3.	श्री के. मुरूगन (1987)
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (1987)
5.	श्री एस. एस. बजाज (1988)
6.	श्री देवेन्द्र सिंह (1988)
7.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)
8.	श्री जय सिंह म्हस्के (1988)
9.	श्री आशीष कुमार भट्ट (1988)
10.	श्री यूनुस अली (1988)
11.	श्री व्ही. रामाराव (1988)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. अरविन्द अनिल बोआज, (भा.व.से.-1979), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

डॉ. अरविन्द अनिल बोआज के पदभार ग्रहण करने पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के पद को पद एवं प्रतिष्ठा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Apex Scale) के समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें वर्तमान में प्राप्त वेतन एवं भत्तों को संरक्षित किया जाता है.

2. श्री बी. एल. सरन, (भा.व.से.-1980), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री दिवाकर मिश्रा, (भा.व.से.-1981), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री प्रदीप कुमार पंत, (भा.व.से.-1982), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 1-13/2014/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. एल. रात्रे, भा.व.से. (1998) वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल को दिनांक 20-09-2013 से वन संरक्षक (वेतनमान PB 4 : 37400-67000 तथा ग्रेड वेतन 8900) के पद पर पदोन्नत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक एफ 1-9/2015/16—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 11 के उप-नियम (2) में, शब्द "उसके साक्षात्कार के पश्चात्" के स्थान पर, शब्द "प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-9/2015/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (2) of rule 11, for the words "after interviewing them", the words "on the basis of Merit in the competitive Examination" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 4-8/2006/32.—राज्य शासन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग, को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर भी नियुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-19/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सीतापुर, जिला सरगुजा निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

सीतापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम देवगढ़ एवं बमलाया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बमलाया, सोनतराई, आमाटोली, ढेलसरा, केशला एवं भिठुवा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम भिठुवा, प्रतापगढ़, हर्राटिकरा, खड़गांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम खड़गांव, कतकालो एवं देवगढ़ पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7-42/2012/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 (छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 2016) जो रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में ग्राम सरोरा प.ह.नं. 101/29 भूमि के उपांतरण की पुष्टि संबंधी है, में उल्लेखित खसरा क्रमांक "64/34 एवं 64/37" के स्थान पर खसरा क्रमांक "46/34 एवं 46/37" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3748 को दिनांक 01-04-2016 से 31-07-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3434 को दिनांक 09-04-2016 से 08-10-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 6-40/2013/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री आदित्य कुमार गुप्ता, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5

(1)	(2)	(3)
2.	श्री श्याम किशोर सहाय, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-1
3.	श्री राकेश त्रिवेदी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3
4.	श्री रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-2
5.	श्री गिरधारी लाल ओगरे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भाटापारा वृत्त.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, भाटापारा वृत्त
6.	श्री आशा राम बघेल, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, महासमुन्द वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5
7.	श्री दयालाल कुंजाम, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-1
8.	श्री दीपक कुमार चखियार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4
9.	श्री विसेन्ट टिर्की, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरिया वृत्त
10.	श्री तेज प्रताप सिंह, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त-2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांजगीर वृत्त
11.	श्री राधेश्याम भोई, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-8.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-8
12.	श्री संतोष कुमार देशमुख, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2
13.	श्री सुबोध कुमार कुजूर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, अंबिकापुर वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-7
14.	श्री गुरू प्रसाद माला, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-2
15.	श्री फुलर्जेस बड़ा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांजगीर वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-2
16.	श्री रामकुमार बागे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-1.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5
17.	श्री लेखराम बंजारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-3.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कवर्धा वृत्त

(1)	(2)	(3)
18.	श्री आर. एल. खुंटे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-6

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. श्री मुकेश त्यागी, सहायक आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-एक को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2441/2114/2014/वा.कर/पांच, दिनांक 6-8-2014 द्वारा प्रभारी अधिकारी रायपुर वृत्त-3 तथा श्री एम. के. धनेलिया, सहायक आयुक्त, बिलासपुर संभाग क्रमांक-एक को आदेश क्रमांक 3086/2649/2014/वा.कर/पांच, दिनांक 13-10-2014 द्वारा प्रभारी अधिकारी बिलासपुर वृत्त-दो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. एतद्द्वारा श्री मुकेश त्यागी एवं श्री एम. के. धनेलिया को वृत्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक 379/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 की धारा 4 के सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	लमकेनी	03	0.57 हे.	सोनपुर (सिपकोन्हा) एनीकट निर्माण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-05-2016 को समय 11.00 बजे स्थान लमकेनी पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — सोनपुर (सिपकोन्हा) एनीकट निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निजी मकान निरंक, झाड़ 1 नग, खण्डहर 1 नग

5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 673.14 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	250 हे. स्वयं के साधन से सिंचाई एवं भू जल स्तर बढ़ाने हेतु.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी प.ह.नं. 15	1.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मझवानी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतखण्डी प.ह.नं. 04	8.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बरर डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बरर प.ह.नं. 15	11.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 26/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चनाडोंगरी प.ह.नं. 13	2.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	घोंघा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 27/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सागर प.ह.नं. 32	3.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	विन्ध्यासर व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 28/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	गिरधौना प.ह.नं. 19	0.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	केकराड़ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 35/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खुरदुर प.ह.नं. 13/32	5.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कलमीटार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 36/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खुरदुर प.ह.नं. 13/32	0.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण (पूरक) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 37/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पीपरतराई प.ह.नं. 13	4.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 38/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लाखासार प.ह.नं. 32	0.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लाखासार एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 39/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पीपरतराई प.ह.नं. 13	2.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कलमीटार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 40/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कलारतराई प.ह.नं. 13/32	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण (पूरक) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पोंगरिहा प.ह.नं. 13	2.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	कठमुण्डा व्यपवर्तन के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 44/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उमरिया प.ह.नं. 14	4.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	कठमुण्डा व्यपवर्तन के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 32/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.936 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	651	0.218
	666	0.129
	652	0.323
	658	0.202
	669	0.020
	667/1	0.008
	667/2	0.004
	668	0.032
योग	8	0.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमेर नाला एनीकट सह रपटा एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक/84/वा./भू.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-गुदगुदा, प.ह.नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	408	0.02
	429/3	0.04
	432	0.08
	434	0.20
योग	4	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-समोदा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक 47/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-खालपोंडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.830 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
502/11/1	0.066
394/8	0.607
502/9	0.243
502/31/20	0.068
394/16/3	0.046
502/22	0.510
394/33	0.134
502/32	0.999
393	0.454
502/15	0.688
502/26	0.518
397/16	0.210
502/11/2	0.067
502/7	0.364
394/4	0.275
394/22/1	0.070
394/22/3	0.070
502/34	0.165
397/9	0.809
502/19	0.315
395	0.336

(1)	(2)
397/8	0.162
502/29	0.113
497/1	0.202
394/22/1	0.077
394/5	0.792
394/20	0.178
394/16/2	0.046
502/11/3	0.066
394/3	0.154
394/14	0.818
394/6	0.470
396	0.348
394/7	0.433
502/54	1.335
497/3	0.202
394/9	0.162
397/5	0.024
397/6	0.105
394/3/3	0.052
502/31/3	0.067
394/3/1	0.051
502/17	0.697
397/7	0.259
397/3	0.785
502/63	1.315
397/17	0.154
497/2	0.202
502/23/1	0.065
394/17	0.251
502/14	0.413
394/10	0.097
394/12	0.332
394/11/2	0.083
394/20	0.340
394/18	0.445
397/2	0.557
502/27	0.162
394/6	0.470
394/11	0.024
502/16	0.093
502/30	0.154
502/5	0.364
502/21	0.644
502/23/2	0.064
397/11	1.941
502/25	0.154
502/20	1.720
502/12	0.263
394/15	0.188
502/13/3	0.065
502/2	1.117
502/11/2	0.065
502/19	0.571
502/7	0.081
394/24	0.753
394/2	0.259
394/21	1.011
394/19	0.291
502/6	0.348
397/18	0.162
योग	29.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गागर-फीडर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5588/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमोदा, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	292/3	0.028
		293/1	0.065
109/1	0.032	293/2	0.065
110/1	0.016	294/1	0.028
110/2	0.089	294/2	0.024
113/1क	0.020	294/3	0.049
113/1ख	0.016	294/4	0.045
113/1ग	0.016	294/5	0.045
114/1	0.061	322/1	0.053
114/2	0.049	322/2	0.057
118	0.036	323	0.053
120	0.154	324	0.036
121/4	0.012	325/1	0.032
121/1क	0.036	325/2	0.008
121/2	0.040	325/3	0.016
121/1ख	0.036	325/4	0.036
123	0.069	325/5	0.028
126/6	0.073	325/6	0.024
126/7	0.077	326/3	0.036
128/1	0.125	327/2, 328/2	0.016
129/1	0.057	327/3, 328/3	0.028
129/3	0.077	329/3	0.008
129/4	0.016	330	0.036
130	0.097	331	0.020
131	0.040	334/2	0.016
153/1	0.057	335/1	0.081
153/3	0.121	335/2	0.008
154/2	0.101	336/3	0.008
154/3	0.024	336/8	0.020
158/1क	0.101	336/9	0.008
158/1घ	0.024	336/10	0.016
160/2	0.032	336/12	0.020
160/3	0.036	336/14	0.024
161	0.065	337/1क/1	0.020
276/1	0.012	337/3	0.016
277	0.045	357/1	0.049
278/2	0.154	360	0.036
278/3	0.032	361/2, 362/2, 364/2	0.024
278/4	0.036	365	0.162
279/1	0.113	792/2	0.024
279/2	0.016	793/1	0.101
279/3	0.004	793/2	0.061
279/4	0.004	794/1	0.040
279/5	0.004	794/2	0.036
279/7	0.004	795/2	0.024
279/8	0.008	795/3	0.040
292/1	0.036	795/4	0.028
292/2	0.036	813/1	0.008

(1)	(2)
813/2	0.085
814/1	0.097
814/2	0.032
823	0.045
824/1ख, 824/2ख	0.174
824/2ग, 825/2	0.162
837	0.097
838/3	0.101
841	0.040
846/1, 847/1, 848/1	0.081
849	0.040
854/4	0.077
854/14	0.109
854/15	0.073
857/1क	0.012
857/1ख	0.024
857/2क	0.040
857/2ख	0.024
858/1ग, 858/2ग	0.024
योग 114	5.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5598/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/3	0.008
102/4	0.008
योग 2	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक 443/नग्रानि/15.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बरमकेला निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय नगर पंचायत बरमकेला (सभाकक्ष भवन) तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 06-04-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बरमकेला निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

बरमकेला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चनामुड़ा, खरवानी एवं झनकपुर ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झनकपुर एवं बुंदेली ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बुंदेली, खिचरी एवं लिंजीर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम लिंजीर, रोहिनपाली एवं चनामुड़ा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 443/TCP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Baramkela planning area has been prepared under sub-section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 06-04-2016 during office hours in the office of Collector Raigarh, Nagar Panchayat Baramkela (Sabha Kaksh Bhawan) and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Baramkela Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Baramkela Planning Area

NORTH	:	Village Chanamuda, Kharwani and up to the Northern limit of Village Jhanakpur.
EAST	:	Village Jhanakpur and up to Eastern limit of Village Bundeli.
SOUTH	:	Village Bundeli, Khichari and up to the Southern limit of Village Lingir.
WEST	:	Village Lingir, Rohinpali and up to Western limit of Village Chanamuda.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared. It should be sent in writing to the Deputy Director Town & Country Planning, Raigarh C.G. or Inspection site within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be Considered by the Dy. Director Town & Country Planning Raigarh.

आर. एन. प्रसाद,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक/420/न.ग्रा.नि./नवागढ़/वि.यो./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नवागढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन्

1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेमरा, तेंदुआ, शिऊर, रोगदा तथा धाराशिव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम धाराशिव, पेंडरी, पीपरी तथा कीरत ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कीरित, नेंगुरडीह, कोटिया तथा पोड़ी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पोड़ी, सेमरा, तेंदुआ, तुर्री तथा सिऊर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत नवागढ़ जांजगीर (छ.ग.).

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक/426/न.ग्रा.नि./अकलतरा/वि.यो./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अकलतरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

अकलतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम परसाही, खटोला, बरगंवा एवं खोंड़ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खोंड़, खिसोरा, लिलवाडीह, अमरताल एवं किरारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम किरारी, तरौद, रोगदा एवं मुरलीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मुरलीडीह, पकरिया, लटिया एवं परसाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पालिका परिषद् अकलतरा जांजगीर (छ.ग.).

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. 09/चार/2014-15/867.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 56/2015 (III) रा.दल.अनु.दल-III, दिनांक 12 मार्च, 2016 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में आयोग के अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2015 में किये गये संशोधन एवं पूरक सूची का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2016—22 फाल्गुन, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं. 56/2015 (III) रा.दल.अनु.-III.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 56/2015/रा.दल.अनु.-II, तारीख 13 जनवरी, 2015, में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-II (राज्यीय दल) में—
   (i) क्र. सं. 20 अर्थात् सिक्किम राज्य की "सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा" से संबंधित स्तम्भ 5 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "कंवो ग्राउंड, पो.ऑ.-टैडोंग, पूर्व सिक्किम, सिक्किम-737102" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

   (ii) क्र. सं. 5 अर्थात् गोवा राज्य की "महाराष्ट्रवादी गोमांतक" से संबंधित स्तम्भ 5 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "फ्लैट नं. 102, ब्लॉक-1, डयुक्ल हेवेन, एस.टी.-इनटेज, पणजी-403001" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में—
   (i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1839 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी—

क्र. सं. (1)	पार्टी का नाम (2)	पता (3)
1840	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सदाय बिगहा-165, बडहिया, जिला-लखीसराय, बिहार-811302.
1841	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं. ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार-800001.

(1)	(2)	(3)
1842	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी, बिहार-843320.
1843	अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं. 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश-516001.
1844	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट-डारा, थाना-जयनगर, जिला-दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743337.
1845	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम-कुकुरिहा, पोस्ट-रूद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील-रूद्रपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश.
1846	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 600, वार्ड नं. 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच, उत्तर प्रदेश.
1847	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना-गर्दनीबाग, पोस्ट-अनिसाबाद, जिला-पटना, बिहार-800002.
1848	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गढी अशरफ खान, जसमई रोड, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश
1849	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम-राधोपुर नरसंडा, पोस्ट-बाजितपुर, थाना-पातेपुर, जिला वैशाली, बिहार-843110.
1850	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1, 33 इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु-629001.
1851	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं. 543, मोहल्ला-उपादियान, वार्ड नं. 14, किठौर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश.
1852	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेन्ट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014.
1853	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट-दुलमा, थाना-मधुबन मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार.
1854	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं. 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला-चेन्नई, तमिल नाडु-600069.
1855	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाऊस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट-लाखानी, जिला-भंडारा, महाराष्ट्र-441804.
1856	इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन कांग्रेस.	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002.
1857	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं. 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, याशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बैंगलुरू नोर्थ ता., बैंगलुरू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक-560073.

(1)	(2)	(3)
1858	अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी	शॉप नं.-9 बी, बिल्डिंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द, स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
1859	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं. 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरूपुर, तमिल नाडु-641603.
1860	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि.पं. प्राथमिक शाळे समोर, डी.पी. भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता. कोरेगांव, जिला-सतारा, महाराष्ट्र-415501.
1861	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18-मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात-380028.
1862	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8-प्रीत विहार, फेज-11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड-248171.
1863	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695 न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226007.
1864	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगड़गंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008.
1865	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव-भगौती दूबे का भिस्वॉ, पोस्ट-चौरी चौरा, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.
1866	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं. 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेथूचेट्टीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008.
1867	जनहित विकास पार्टी	ग्राम-कपासी, पोस्ट-हसनपुर, ब्लॉक-बलियाखेड़ी, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247111.
1868	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट,चेन्नई, तमिल नाडु-600018.
1869	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सुरजननगर, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244602.
1870	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश.
1871	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091.
1872	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश.
1873	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील-उमरेड, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र-441115.

(1)	(2)	(3)
1874	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	19/7/130-ए, थानापाडा रोड, पोस्ट-दिनहाटा, जिला-कूचबिहार, पश्चिम बंगाल.
1875	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम-शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस-मिर्जा, पुलिस स्टेशन-पलाशबरी, जिला-कामरूप, असम-781125.
1876	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212655.
1877	विडियल बलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरू, इच्चीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु-620021.
1878	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक-बसन्तपुर, जिला-मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी. एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल-742406.
1879	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006.
1880	मक्कलाच्ची कच्ची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारूम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरूनेलवेली-जिला, तमिलनाडु-627412.
1881	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24 ए, मेथुकुम्मल, जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629172.
1882	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट, पुष्पांजली इन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034.
1883	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेड़ा, तालुक-जफ्राबाद, जिला-जालना, महाराष्ट्र.
1884	मक्कल कूटामैपु काची	नं. 348ए, केप रोड, एट्टूकडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम गांव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.
1885	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरूमभगेरी पोस्ट, तिरूपत्तुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु-635653.
1886	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, मां दुर्गानगर, ग्राम-चकसकरा, पोस्ट-चन्द्रालय, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली बिहार.
1887	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्र्वरम, तिरूवन्नतपुरम, केरल-695023.
1888	गांधीय मक्कल इयक्कम	9-1, तडागम रोड, कौंडमपालयम, कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु-641030.

(1)	(2)	(3)
1889	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला-कोट्टयम, केरल.
1890	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं. 34, वडिवलपुरम, पोस्ट-वाडुका-चिमथील, तालुक-नानगुनेरी, जिला-तिरूनेलवेली, तमिलनाडु-627102.
1891	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश-462023.
1892	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस-पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला-कटिहार, बिहार-854105.
1893	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411 डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु-638112.
1894	युनाईटेड कांग्रेस पार्टी	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127-जे.पी.रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400058.
1895	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पो. ऑ. कडुथुरूती केरल-686604.
1896	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुरा, (करहॉ रोड), पोस्ट-मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश-276403.
1897	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11, 12, 13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स-92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
1898	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूपू पी.ओ., कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल-682311.
1899	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं. 4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पैट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला (पूर्व), महाराष्ट्र-400070
1900	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होल्डिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1901	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1 बी/110 ए, कृष्णा आपार्टमेन्ट एल.आई.जी. फ्लेट्स, ए-1 बी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063.
1902	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6 सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश.
1903	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल.

(1)	(2)	(3)
1904	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958–मटौर सेक्टर–70, एस.ए.एस नगर, सिंडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब–160070.
1905	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना–दिसपुर, जिला–कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम–781034
1906	मक्कल सनानायगा कडियार्सु कॉची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु–600069.

(ii) क्रम सं. 1089 पर "न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(iii) क्रम सं. 315 पर "भारतीय जनतांत्रिक परिषद्" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(iv) क्रम सं. 312 पर "भारतीय जन शक्ति" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(v) क्रम सं. 1648 पर "त्रिपुरा प्रगतिशील ग्रामीण कांग्रेस" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(vi) क्रम सं. 1156 पर "पांडिचेरी मन्नीला मक्कल मुन्नानी" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(vii) क्रम सं. 1217 पर "राजीव मक्कल कांग्रेस" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(viii) क्रम सं. 1069 पर "नव समाज दल" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(ix) क्रम सं. 764 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "जनहित पक्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(x) क्रम सं. 917 के सामने "लोकतांत्रिक जनता फ्रंट" के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "ई.–13/307, प्रेस कॉम्पलेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(xi) क्रम सं. 722 के सामने "जय प्रकाश जनता दल" के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज–I, दिल्ली–110091" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(xii) क्रम सं. 674 के सामने "इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम" के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "नं.–3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई–600017, तमिलनाडु" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(xiii) क्रम सं. 1756 के सामने "जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया" के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "7107, स्ट्रीट नं. 3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉईन्ट, लुधियाना, पंजाब–141010" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(xiv) क्रम सं. 63 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "आम आदमी मुक्ति मोर्चा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(xv) निम्नलिखित 74 राजनैतिक दलों के नाम एवं उनसे संबंधित सभी प्रविष्टियां नीचे दिये गये विवरण के अनुसार विलोपित की जाएंगी :—

अधिसूचना की क्र. सं.	पार्टी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
36	अखंड भारत एकता आंदोलन	बसंत भवन, 17/34, सिंघन स्ट्रीट, काशीपुर, पिन कोड–244713, जिला–उधम सिंह नगर (उत्तराखंड).

(1)	(2)	(3)
41	अखण्ड भारती	ई.-5, प्रथम तल, बाली नगर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015.
55	अखिल भारतीय दस्तकार मोर्चा	चैम्बर नं. 187, नई दिल्ली कोर्ट्स, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001.
58	अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी	जी-10/2, रतिया मार्ग, संगम विहार, नई दिल्ली-110062
59	अखिल भारतीय जनरल लेबर पार्टी	ए-3/85 नन्द नगरी, दिल्ली -93.
74	अखिल भारतीय राजीववादी कांग्रेस (दूबे)	डब्ल्यू-जेड-8-93, तंवर मार्केट, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली-110028.
76	अखिल भारतीय राष्ट्रीय आजाद हिन्द पार्टी	एच. ओ.-1 आर. 11-12, विस्तार योजना दादाबारी, कोटा (राजस्थान).
82	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश).
85	अखिल भारतीय जनता विकास पार्टी	21-डी, पाकेट ए-3, एवरेस्ट अपार्टमेन्ट कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.
105	अली सेना	1/1, जफराबाद, न्यु सीलमपुर, दिल्ली-110053.
107	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई-40, तमिलनाडु.
116	ऑल इंडिया गरीब कांग्रेस	ए-1/126, सेक्टर-6, रोहिणी, नई दिल्ली.
117	ऑल इंडिया होम लेस पीपुल्स कांग्रेस	नवग्राम गरीया, पो.आ. पंचपोटा, साउथ-24, परगना-743516, (पश्चिम बंगाल).
126	ऑल इंडिया महिला राज पार्टी	5 ए, ओरियेंट रो, कोलकत्ता-700017, (पश्चिम बंगाल)
157	ऑल केरल एम.जी.आर. द्रविड़ मुन्नेत्र पार्टी	दास बिल्डिंग नेमोन पी. ओ., तिरूवनंतपुरम-695020, (केरल).
158	ऑल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस (आर्मिसन मारक ग्रुप)	पी. ओ.-तुरा चंदमारी, वेस्टगारो हिल्स-794002, (मेघालय).
188	अपना भारत	सैनी भवन, कालकाजी माता मन्दिर के पास, कालकाजी, नई दिल्ली-110019.
274	भारत मक्कल कांग्रेस	एन-30, बेलुचेट्टी स्ट्रीट, एस कादीयूर, जोलारपेट, नार्थ अकोट जिला (तमिलनाडु).
293	भारतीय डेमोक्रेटिक दल	नं. 1ए, गंगाई उम्मन कोइल, दूसरी स्ट्रीट, वादापलानी, चेन्नई-600026 (तमिलनाडु).

(1)	(2)	(3)
305	भारतीय जन कांग्रेस	5158/15 महालक्ष्मी बिल्डिंग, रामकृष्ण मिशन के पीछे, पहाड़गंज लेन, नई दिल्ली–110055.
319	भारतीय किसान कामगार पार्टी	214–शाहपुर जट, नई दिल्ली–110049.
339	भारतीय नवशक्ति पार्टी	5, गुरूदवारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001.
343	भारतीय परिवर्तन मोर्चा	3/8, शाह नगर, मंगलापुरी टर्मिनल, पालम, नई दिल्ली.
352	भारतीय राजीव कांग्रेस	145, ए 1, अर्जुन नगर, सफदरजंग, एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029.
367	भारतीय समाजवादी विकास पार्टी	एफ–717, मंगोलपुरी, दिल्ली–110083.
368	भारतीय समता पार्टी	ए–71–निर्माण विहार, नई दिल्ली.
490	क्रिस्तवा मक्कल काची	173–पोन्नागर, तिरूचिरापल्ली–620001. (तमिलनाडु)
503	दलित मुस्लिम विकास पार्टी	2/306, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली–110062.
510	दिल्ली विकास पार्टी	बी–600, जहांगीर पुरी, दिल्ली–110033.
516	डेमोक्रेटिक फॉर्वर्ड ब्लॉक	66, तमिल संगम रोड, मदुरई–625001. (तमिलनाडु)
545	द्रविड़ मक्कल कांग्रेस	नं. 11, जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रथम एवेन्यु, अशोक नगर, चेन्नई–600083, (तमिलनाडु).
556	फार्मर्स डेवेलेपमैंट्स पार्टी	149, माम्बालम, हाई रोड, टी नगर, चेन्नई–600017, तमिलनाडु.
593	ग्राम मुन्नेत्र कड़गम	'जैड' मंगाम्मल सलाई, रेंगानगर, चिरूचिरापल्ली–620021 (तमिलनाडु).
617	हिमाचल क्रान्ति पार्टी	ग्राम–खार्ट, पो. ऑ. नंदरूल, तहसील और जिला–कांगड़ा–176001. हिमाचल.
654	इक्किया मक्कल मुन्नेत्र कड़गम	मक्कलगाम नं. 11, पर्ल एम्पायर अपार्टमैंट, कुप्पम बीच रोड, तिरूवनमियुर चेन्नई, (तमिलनाडु).
677	इंडियन नेशनल लेबर पार्टी	रजनी मुखर्जी, स्मृति, भाबर, कोल डॉक रोड, (पहले कोल कन्ट्रोलर्स ऑफिस), कोलकत्ता–700043. (पश्चिम बंगाल).
759	जन सेवा पार्टी	जे–7, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली–110092.
772	जननिष्ठा	मोहन विला, ए–1/347, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058.
774	जनता कांग्रेस पार्टी ऑफ भारतवर्ष	ए–15/2, बसन्त विहार, पी. बी. नं. 8801, नई दिल्ली–110057.

(1)	(2)	(3)
819	कांची अरिगेर अन्ना द्रविड़ मक्कल कड़गम.	नं. 10ए, नाथम मेट्टु स्टीट, चेंगलपट्टु, (तमिलनाडु)
837	खासी फामर्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मालकी चीनापट्टी, शिलांग-793001, मेघालय.
908	लोकतांत्रिक जन समता पार्टी	सी. 7/166, यमुना विहार, दिल्ली-110053.
919	एम.जी.आर. मुन्नेत्र कड़गम	कोन्नूर हाई रोड (केनाल एरिया) ओट्टेरी, चेन्नई-600012, (तमिलनाडु).
958	मक्कल नालौरीमैक कड़गम (पीपुल्स लिबरल पार्टी)	629, अन्ना सलाई, चेन्नई-600006, (तमिलनाडु)
960	मक्कल तमिल देशम	14, हनुमन्ता रोड, बालाजी नगर, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु.
970	मानव सेवा पार्टी	सी-6/28, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016.
984	मरूमालारची तमिझाकम	1/19, ओनानगुडी (पी.ओ.), अरिमलम (वाया) पुडुकोटाई जिला, (तमिलनाडु).
996	मिनिस्टीरियल सिस्टम एबोलिशन पार्टी.	25, बुरटोल्ला स्ट्रीट, कोलकत्ता.
1005	मूवेन्दर मुन्नेत्र कड़गम	लेक एरिया, मेलूर रोड, मदुराई-625107, (तमिलनाडु)
1016	नागालैंड डेमाक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बॉक्स नं.-95, दीमापुर, नागालैण्ड, पिन-797112.
1091	न्यू इण्डिया नेशनल मूवमेन्ट	2, बिगसिटी हाउस, मस्जिद के पीछे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
1100	निस्साबादा भूरिपक्षम	113, पट्टूकल शापिंग काम्पलैक्स, द्वितीय तल, ईस्ट फोर्ट, त्रिवेन्द्रम फोर्ट, पो.-त्रिवेन्द्रम, केरल.
1105	न्यायनिष्ठ प्रजातन्त्र	सैन्ट्रल हैड क्वार्टर और पो.-देवार (गोपेश्वर), जिला-चमोली-246401, उत्तराखण्ड.
1113	पचाई कुडी मक्कल काची	नं. 7, कामराजार स्ट्रीट, पल्लिक्करनई, चेन्नई-601302, (तमिलनाडु).
1115	पंचाल मोर्चा	137 बी-1 गौतम नगर, नई दिल्ली-110049.
1116	पंचायत राज पार्टी	106, पाकेट ए-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110034
1123	पर्वतीय पुनरूत्थान परिषद्	64, फर्स्ट फ्लोर,, अधचिनी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016.
1126	पश्चिमबंगा गणतांत्रिक मंच	फ्लैट नं. 56, ब्लॉक-एच, सी.आई.टी. बिल्डिंग, किस्टोफर रोड, कोलकाता-700014 (पश्चिम बंगाल).

(1)	(2)	(3)
1131	पवित्र हिन्दुस्तान कड़गम	11, हरीश चन्द्र माथुर लेन, नई दिल्ली–110001.
1137	पीपुल्स जस्टिस पार्टी	"कार अरूल," ए–87 कंडासामी सलाई 8वीं स्ट्रीट, पेरियर नगर, चेन्नई–600028 (तमिलनाडु).
1155	पोलिटिकल पार्टी आफ नेशनल मैनेजमैंट सर्विस.	सी–546, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024.
1217	राजीव मक्कल कांग्रेस	नं.–16 (पुराना नं.–18), विश्वनाथपुरम, III स्ट्रीट, कोडामबक्कम, चेन्नई–600024, तमिलनाडु.
1230	राष्ट्र सुरक्षा परिषद्	कोठी नं. ए–2/79, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
1548	सिक्किम नेशनल लिबरेशन फंट	31–ए, नेशनल हाईवे, पो. ऑ. गंगटोक, (सिक्किम)
1592	तमिल मानिला कामराज कांग्रेस	मार्फत एफ. बी. बेन्जामिन जॉर्ज, वकील नं. 17, डूमिंग गली, सनथोम, चेन्नई–600004, तमिलनाडु.
1596	तमिलनाडु देसीया ग्रामीया थोझिलालर कॉग्रेस	5/58, मनियम बिल्डिंग थीठीपालयम पोस्ट, कोयम्बटूर–641010, (तमिलनाडु)
1598	तमिलनाडु पीपुल्स पार्टी	16/2, के. पी. स्ट्रीट, मइलापोर, चेन्नई–600004, (तमिलनाडु)
1600	तमिलार कड़गम	180, लोंगली रोड, शेवापेट, सलेम–636002, (तमिलनाडु)
1604	तमिझागा मुन्नेत्र मुन्नानी	नं. 152 ए, नार्थ–उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई–600017, (तमिलनाडु)
1605	तमिझागा राजीव कांग्रेस	6–11, मेन रोड, राजा अन्नामलई पुरम, चेन्नई–600028, (तमिलनाडु)
1622	थयागा मक्कल काची	7, वाई. बी. डी. काम्पलैक्स, चतीराम बस स्टैंड, तिरूचिरापल्ली–620002, (तमिलनाडु)
1627	थरासु मक्कल मंदरम	14–सैत कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट, इग्मोर–600008, (तमिलनाडु)
1635	थेसिया जननायक मक्कल काची	न्यू नं. 2, ओल्ड नं. 33, सैकिंग क्रॉस स्ट्रीट, वैस्ट सी.आई. टी. नगर, नन्दनम, चेन्नई–600035, (तमिलनाडु)
1687	उझैप्पालर काची	70–डी, पलानीसामी स्ट्रीट, वाणीयमबाडी रोड, तिरूपत्तूर–635601, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु.

आदेश से,

हस्ता./–
(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 12th March, 2016—22 Phalguna, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2015 (III)/PPS-III.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2015/PPS-II dated 13th January, 2015 as amended from time to time, namely :—

1. In Table II (State Parties), appended to the said Notification—
   (i) Against Sl. No. 20 in respect of the State of Sikkim, the existing entries under column No. 5 pertaining to 'Sikkim Krantikari Morcha' shall be substituted by the entries 'Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102.'

   (ii) Against Sl. No. 5 in respect of the State of Goa, the existing entries under column No. 5 pertaining to 'Maharashtrawadi Gomantak' shall be substituted by the entries 'Flat No. 102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji-403001'.

2. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification—
   (i) After the existing entries at Sl. No. 1839, the following entries shall be inserted under column Nos. 1, 2 & 3, respectively :—

Sl. No. (1)	Party's Name (2)	Address (3)
1840	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post-Saday Vigaha-165, Barahia, District-Lakhisarai, Bihar-811302.
1841	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar-800001.
1842	Kishan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sthan, P.S.-Pupri, District-Sitamarhi, Bihar-843320.
1843	Anna YSR Congress Party	D. No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh-516001.
1844	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post-Dara, P.S.-Joynagar, District-South 24 Parganas, West Bengal-743337.
1845	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village-Kukuriha, Post-Rudrapur Korwa, Thana-Rudrapur, Tehsil, Rudrapur, District-Deoria, Uttar Pradesh.
1846	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh.
1847	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana-Gardnibagh, Post-Anisabad, District-Patna Bihar-800002.
1848	Mazdoor Dalit Kisaan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh.

(1)	(2)	(3)
1849	Rashtriya Sadbhavna Party	Village-Raghopur Narsanda, Post-Bajitpur, Thana-Patepur, District-Vaishali, Bihar-843110.
1850	Tamilaga Sthabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu-629001.
1851	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla-Upadiyan, Ward No.-14, Kithor, District-Meerut, Uttar Pradesh.
1852	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014.
1853	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana-Madhuban Motihari, District-East Champarn, Bihar.
1854	Indhu Dravida Makkal Katchi	No. 14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu-600069.
1855	Forward Democratic Labour Party	Ward No. 5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar Murmadi, Post and Tehsil-Lakhani, District-Bhandara, Maharashtra-441804.
1856	Indian Socialist Republican Congress	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra-415002.
1857	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobi, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Kanataka-560073.
1858	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shoap No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra-400088.
1859	Super Stars Makkal Kalagam	D. No. 26, AVP Layout, 2nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu-641603.
1860	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregoan, District-Satara, Maharashtra-415501.
1861	Rashtriya Yuva Samaj Party	18-Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat-380028.
1862	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjanpur-Dehradun, Uttarakhand-248171.
1863	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695 N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007.
1864	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur (E), Maharashtra-440008.

(1)	(2)	(3)
1865	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey Ka Bhiswan, Post-Chauri Chaura, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
1866	Agila India Makkal Kazhagam	No. 3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry-605008.
1867	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi, Post-Hasanpur, Block-Baliakhedi, District-Saharanpur, Uttar Pradesh-247111.
1868	Gokula Makkal Katchi	New No. 7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu-600018.
1869	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post-Surajannagar, District-Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
1870	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
1871	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091.
1872	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla Kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cant, Agra, Uttar Pradesh.
1873	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil-Umred, District-Nagpur, Maharashtra-441115.
1874	Nationalist Trinamul Congress Party	19/7/130-A, Thanapara Road, P.O.-Dinhata, District-Coochbehar, West Bengal.
1875	Liberal Democratic Party	Village-Santipur (Mirza), Post Office-Mirza, Police Station- Palashbari, District-Kamrup, Assam-781125.
1876	Manav Kranti Party	New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District-Fatehpur, Uttar Pradesh-212655.
1877	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu-620021.
1878	Mulnibasi Party of India	Village and Post-Basantpur, District-Murshidabad, SD and PS-Dumkal, West Bengal-742406.
1879	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh-456006.
1880	Makkalatchi Katchi	No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu-627412.

(1)	(2)	(3)
1881	Ulaga Makkal Katchi	No. 15/24 A, Methukummal Junction, Methukummal Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu-629172.
1882	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi-110034.
1883	Bhartiya Veer Kisan Party	Village-Khaparkheda, Taluka-Jafrabad, District-Jalna, Maharashtra.
1884	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil Kanyakumari District, Tamil Nadu-629002.
1885	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu-635653.
1886	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village-Chaksakra, Post-Chandralaya, P.S.-Hajipur Sadar, District-Vaishali Bihar.
1887	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala-695023.
1888	Gandhiya Makkal Iyakkam	9-1, Thadagam Road, Kavundampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu-641030.
1889	Kerla Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No. 6, Kottayam Municipality, Kottayam District-Kottayam, Kerla.
1890	Eluchi Desam Party	Old No. 1/46, New No.-34, Vadivalpuram, Post-Vadukatchimathil, Taluk-Nanguneri, District-Thirunelveli, Tamil Nadu-627102.
1891	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.
1892	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya, P.O.-Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District-Katihar, Bihar-854105.
1893	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellode, Erode District, Tamil Nadu-638112.
1894	United Congress Party	201/202, 2nd Floor, Sukumar Corner, 127-J.P. Road, Dawood Baug Lane, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra-400058.
1895	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No. 2, Poozhikol P.O., Kaduthuruthy, Kerala-686604.

(1)	(2)	(3)
1896	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post-Mohammadabad Gohana, District-Mau, Uttar Pradesh-276403.
1897	Vaicharik Kranti Party	F-11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
1898	Twenty 20 Party	Building No. IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala-682311.
1899	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra-400070.
1900	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Maszid, Dispur Guwahati, Assam-781006.
1901	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar, Delhi-110063.
1902	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1903	Secular Republican Democratic Party.	Adam star Complex, Room No. 132, 1st Floor, 2nd Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
1904	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector-70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab-160070.
1905	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No. 4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S-Dispur, District-Kamrup Metro, Guwahati, Assam-781034.
1906	Makkal Sananayaga Kudiyarasu Katchi.	No. 3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu-600069.

(ii) Existing entries pertaining to Sl. No. 1089 in respect of ‘New Democratic Party’ shall be deleted.

(iii) Existing entries pertaining to Sl. No. 315 in respect of ‘Bharatiya Jantantrik Parishad’ shall be deleted.

(iv) Existing entries pertaining to Sl. No. 312 in respect of ‘Bhartiya Jan Shakti’ shall be deleted.

(v) Existing entries pertaining to Sl. No. 1648 in respect of ‘Tripura Pragatishil Gramin Congress’ shall be deleted.

(vi) Existing entries pertaining to Sl. No. 1156 in respect of ‘Pondicherry Mannila Makkal Munnani’ shall be deleted.

(vii) Existing entries pertaining to Sl. No. 1217 in respect of ‘Rajiv Makkal Congress’ shall be deleted.

(viii) Existing entries pertaining to Sl. No. 1069 in respect of ‘Nav Samaj Dal’ shall be deleted.

(ix) Against Sl. No. 764, the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Janahitha Paksha'.

(x) Against Sl. No. 917 in respect of 'Loktrantrik Janata Front', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi-110092'.

(xi) Against Sl. No. 722 in respect of 'Jai Prakash Janata Dal', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091'.

(xii) Against Sl. No. 674 in respect of 'Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'No. 3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu'.

(xiii) Against Sl. No. 1756 in respect of 'Jan Shakti Party of India', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '7107, Street No. 3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141010'.

(xiv) Against Sl. No. 63, the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Aam Aadmi Mukti Morcha'.

(xv) The names and all entries relating to the following 74 parties shall also be deleted as per the details given below :—

Sl. No. in the Notification (1)	Name of the Party (2)	Address (3)
36	Akhand Bharat Ekta Andolan	Basant Bhawan, 17/34, Singhan Street, Kashipur-Pin Code-244713, Distt.-Udham Singh Nagar (Uttaranchal).
41	Akhand Bharti	E-5 (1st Floor), Bali Nagar, Shivaji Marg, New Delhi-110015.
55	Akhil Bharatiya Dastkar Morcha	Chamber No. 187, New Delhi Courts, Patiala House, New Delhi-110001.
58	Akhil Bharatiya Garib Mazdoor Kisan Party.	G-10/2, Ratia Marg, Sangam Vihar New Delhi-110062.
59	Akhil Bharatiya General Labour Party.	A-3/85, Nand Nagari, Delhi-93.
74	Akhil Bharatiya Rajivwadi Congress (Dubey)	WZ-8-93, Tanwar Market, Ring Road, Naraina, New Delhi-110028.
76	Akhil Bharatiya Rashtriya Azad Hind Party.	H.O. 1 R 11-12 Vistar Yojna Dadabari, Kota (Rajasthan).
82	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
85	Akhil Bhartiya Janata Vikas Party	21-D, Pocket A-3, Everest Apartment, Kalkaji Extention, New Delhi-110019.
105	Ali Sena	1/1, Jafrabad, New Seelampur, Delhi-110053.

(1)	(2)	(3)
107	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu.
116	All India Gareeb Congress	A-1/126, Sector-6, Rohini, New Delhi.
117	All India Homeless People Congress	Nabagram Garia, P.O. Panchpota, South 24 Parganas-743516 (West Bengal).
126	All India Mahila Raj Party	5A, Orient Row, Kolkata-700017 (West Bengal).
157	All Kerala M.G.R. Dravida Munnetra Party.	Das Building Nemom P.O. Thiruvanantha-puram-695020 (Kerala).
158	All Party Hill Leaders Conference (Armison Marak Group).	P. O. Tura Chandmari, West Garo Hills-794002 (Meghalaya).
188	Apna Bharat	Saini Bhawan, Near Kalkaji Mata Mandir, Kalkaji, New Delhi-110019.
274	Bharatha Makkal Congress	N. 30, Veluchetty Street, S. Kadiyur, Jolarpet, North Arcot Distt. (Tamil Nadu).
293	Bharatiya Democratic Dal	No. 1A, Gangai Amman Koil, Second Street, Vadapalani, Chennai-600026 (Tamil Nadu).
305	Bharatiya Jan Congress	5158/XV, Mahalaxmi-Building, Behind Ramakrishna Mission, Paharganj Lane, New Delhi-110055.
319	Bharatiya Kisan Kamgar Party	214, Shahpur Jat, New Delhi-110049.
339	Bharatiya Navshakti Party	5, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110001.
343	Bharatiya Parivartan Morcha	3/8, Shah Nagar, Mangla Puri Terminal, Palam, New Delhi.
352	Bharatiya Rajiv Congress	145, A-1, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
367	Bharatiya Samajwadi Vikas Party	F-717, Mangolpuri, Delhi-110083.
368	Bharatiya Samata Party	A-71, Nirman Vihar, New Delhi.
490	Christhava Makkal Katchi	173, Ponnagar, Tiruchirapalli-620001, (Tamil Nadu).
503	Dalit Muslim Vikas Party	2/306, Dakshin Puri, New Delhi-110062.
510	Delhi Vikas Party	B-600 Jahangir Puri, Delhi-110033.
516	Democratic Forward Bloc	66, Tamil Sangam Road, Madurai-625001 (Tamil Nadu).

(1)	(2)	(3)
545	Dravida Makkal Congress	No. 11, Jawharlal Nehru Road, 1st Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
556	Farmers Developments Party	149, Mambalam High Road, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
593	Grama Munnetra Kazhagam	'Z' Mangammal Salai, Renga Nagar, Tiruchirapalli-620021 (Tamil Nadu).
617	Himachal Kranti Party	Village Khart, P. O. Nandrool, Tehsil & Distt.-Kangra-176001 (H.P.).
654	Ikkiya Makkal Munnetra Kazhagam	Makkalagam No. 11, Pearl Empire Apart-ments, Kuppam Beach Road, Tiruvanmiyur, Chennai (Tamil Nadu).
677	Indian National Labour Party	Rajani Mukherjee Smriti, Bhabar, Coal Dock Road, (Former Coal Controller's Office) Kolkata-700043 (West Bengal).
759	Jan Sewa Party	J-7, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092.
772	Jananishta	Mohan Villa, A-1/347, Janak Puri, New Delhi 110058.
774	Janata Congress Party of Bharat Varsha	A-15/2, Vasant Vihar, P.B. No. 8801, New Delhi-110057.
819	Kanchee Aringer Anna Dravida Makkal Kazhagam.	No. 10A, Natham Mettu St., Chengalpattu (Tamil Nadu).
837	Khasi Farmers Democratic Party	Malki Chinapatty, Shillong-793001, Meghalaya.
908	Loktantrik Jan Samta Party	C-7/166, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
919	M.G.R. Mannetra Kazhagam	Konnoor High Road (Canal Area) Otteri, Chennai-600012 (Tamil Nadu).
958	Makkal Nalaurimaik Kazhagam (People's Liberal Party)	629, Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu.)
960	Makkal Tamil Desam	14, Hanumantha Road, Balaji Nagar, Royapettah, Chennai-600014, Tamil Nadu.
970	Manav Sewa Party	C-6/28, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.
984	Marumalarchi Thamizhakam	1/19, Onangudi (P. O.) Arimalam (Via) Pudukkottai District, Tamil Nadu.
996	Ministerial System Abolition Party	25, Burtolla Street, Kolkata.

(1)	(2)	(3)
1005	Moovendar Munnetra Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madhurai-625 107 (Tamil Nadu).
1016	Nagaland Democratic Party	Post Box No. 95, Dimapur, Nagaland, Pin-797112.
1091	New India National Movement	2, Bigcity House, Behind Maszid, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.
1100	Nissabada Bhooripaksham	113, Pattukal Shopping Complex, IInd Floor, East Fort, Trivendrum Fort, P.O. Trivendrum, Kerala.
1105	Nyaynishth Prajatantra	Central Head Quarter and P. O.-Dewar (Gopeshwar)-246401, District Chamoli, Uttranchal.
1113	Pachai Kudi Makkal Katchi	No. 7, Kamarajar Street, Pallikkaranai, Chennai-601302 (Tamil Nadu).
1115	Panchal Morcha	137 B-1, Gautam Nagar, New Delhi-110049.
1116	Panchayat Raj Party	106, Pocket A-3, Sector-3, Rohini, New Delhi-110034.
1123	Parvatiya Punrutthaan Parishad	64, 1st Floor, Adhchini, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016.
1126	Paschimbanga Ganatantrik Mancha	Flat No. 56, Block-H, C.I.T. Building, Christopher Road, Kolkata-700014 (West Bangal).
1131	Pavitra Hindustan Kaazhagam	11, Harish Chandra Mathur Lane, New Delhi-110001.
1137	People's Justice Party	'KAAR ARUL', A-87, Kandasamy Salai, 8th Street, Periyar Nagar, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1155	Political Party of National Management Service.	C-546, Defence Colony, New Delhi-110024.
1217	Rajiv Makkal Congress	No. 16 (Old No. 18), Viswanathapuram, III Street, Kodambakkam, Chennai-600024, Tamil Nadu.
1230	Rashtra Suraksha Parishad	Kothi No. A-2/79, Paschim Vihar, New Delhi-110063.
1548	Sikkim National Liberation Front	31-A, National Highway, P. O. Gangtok (Sikkim).
1592	Tamil Maanila Kamraj Congress	C/o F. B. Benjamin George, Advocate, No.-17, Dooming Street, Santhome, Chennai-600004, (Tamil Nadu).

(1)	(2)	(3)
1596	Tamil Nadu Deseeya Grameeya Thozhilalar Congress.	5/58, Maniam Building, Theethipalayam Post, Coimbatore-641010 (Tamil Nadu).
1598	Tamil Nadu People's Party	16/2 K. P. Street Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1600	Tamilar Kazhagam	180, Longly Road Shevapet, Salem-636002 (Tamil Nadu).
1604	Tamizhaga Munnetra Munnani	No. 152 A, North Usman Road T. Nagar, Chennai-600017 (T. N.)
1605	Tamizhaga Rajiv Congress	6-II, Main Road, Raja Annamalaipuram, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1622	Thaayaga Makkal Katchi	7, Y.V.D. Complex, Chathiram Bus Stand, Tiruchirappalli-620002, Tamil Nadu.
1627	Tharasu Makkal Mandram	14-Sait Colony, First Street Egmore-600008 (Tamil Nadu).
1635	Thesia Jananayaka Makkal Katchi	New No. 2, Old No. 33, 2nd Cross, Street, West C.I.T. Nagar, Nandanam, Channai-600035 (Tamil Nadu).
1687	Uzhaippalar Katchi	70-D, Palanisamy Street, Vaniyambadi Road, Tirupattur-635601, Vellore District, Tamil Nadu.

By order,

Sd/-
(PRAMOD KUMAR SHARMA)
Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्रमांक 101/जि.प.अ./16.—रायगढ़ से पुसौर बाईपास रोड जो कि गढ़उमरिया आमापाली औरदा से होते हुए पुसौर तक जाता है, सिंगल रोड में भारी वाहन ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप गांव देहात के छात्र-छात्राओं को जो इस रोड से पढ़ाई हेतु आना जाना करते हैं उन्हें आने-जाने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और हमेशा दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है. इस परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है.

आमजन की सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिकोण से मैं अलरमेलमंगई डी. जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ से पुसौर बाईपास मार्ग गढ़उमरिया-आमापाली-औरदा-पुसौर मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन को पूर्णतः तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती हूं.

अलरमेलमंगई डी.,
जिला दण्डाधिकारी.